बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: **अधिसूचना** ::-

संचिका संख्या- स०क०स्था० (मु०)-23/2023.....1613...../ **पटना, दिनांक-**.....6.3.2025.....

केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के विरूद्ध उत्पीड़न को रोकने एवं तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु (The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005), प्रख्यापित कर लागू किया जा चुका है। उक्त अधिनियम को प्रभावकारी बनाने हेतु राज्य सरकारों से आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की गई है।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर राज्यपाल बिहार द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार संरक्षण सेवा के गठन और उसमें भर्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।-**
   (i) यह नियमावली "बिहार संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।** - इस नियमावली में, जब तक संदर्भ के विरुद्ध अन्यथा अपेक्षित न हो :-
   (i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   (ii) **"विभाग"** से अभिप्रेत है बिहार कार्यपालिका नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट समाज कल्याण विभाग;
   (iii) **"राजस्व पर्षद"** से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व पर्षद;
   (iv) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
   (v) **"सेवा"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य का बिहार संरक्षण सेवा;
   (vi) **"सेवा के सदस्य"** से अभिप्रेत है बिहार संरक्षण सेवा में इस नियमावली के उपबंधो के अधीन नियुक्त व्यक्ति;
   (vii) **"विभागीय प्रोन्नति समिति"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नति के लिए सम्यक रूप से गठित समिति;
   (viii) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार बिहार;

(ix) **"नियंत्री प्राधिकार"** से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग;

(x) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;

3. **संवर्ग का गठन ।** - (i) इस नियमावली के अन्तर्गत संवर्ग की संरचना एवं पदसोपान निम्नवत होंगे :-

क्र०	पद का नाम	नियुक्ति का स्त्रोत	स्तर
1	2	3	4
1	अनुमंडलीय संरक्षण पदाधिकारी	सीधी भर्ती	राजपत्रित (मूल कोटि)
2	जिला संरक्षण पदाधिकारी/ संरक्षण पदाधिकारी (मु०)	प्रोन्नति से	राजपत्रित (प्रथम प्रोन्नति)
3	राज्य संरक्षण पदाधिकारी	प्रोन्नति से	राजपत्रित (द्वितीय प्रोन्नति)

सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान एवं स्वीकृत बल वही होगा, समय-समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ii) यह राज्य सेवा होगी और समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।

4. **नियुक्ति।-**

(i) इस सेवा की "मूल कोटि" के पदों को आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी नियुक्ति से तथा प्रोन्नति के पदों को वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति से भरा जाएगा।

(ii) सेवा संवर्ग के सभी पदों पर महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

(iii) नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा अधिसूचित आरक्षण के प्रावधान इस सेवा में लागू होंगे।

5. **नियुक्ति हेतु अर्हता एवं प्रक्रिया ।-**

(i) **उम्र सीमा-** सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु विज्ञापन वर्ष के एक अगस्त को 21 (इक्कीस) वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर नियत की जायेगी।

(ii) **शैक्षणिक योग्यता ।-** इस सेवा की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता, मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक होगा। सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा विशिष्ट परीक्षा अथवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, जिसमें अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक विषयों यथा (क) मनोविज्ञान (ख) विधि में से कम से कम एक विषय लेना अनिवार्य होगा।

(iii) **लिखित परीक्षा** - आयोग अपनी विहित प्रक्रिया के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकेगा।

(iv) **साक्षात्कार** - आयोग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, आयोग अपनी विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत लेगा।

(v) **विषय, पाठ्यक्रम तथा अंकों का निर्धारण** - लिखित परीक्षा के लिए विषय, पाठ्यक्रम एवं उनके लिए अंकों का निर्धारण तथा साक्षात्कार के लिए अंकों का निर्धारण विभाग के परामर्श से आयोग द्वारा किया जायेगा।

(vi) **रिक्तियों की गणना एवं आयोग को इसकी सूचना** - प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल तक विभाग उस वर्ष बिहार संरक्षण सेवा में सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगा और उसके अनुसार सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को 30 अप्रैल तक प्रेषित करेगा।

(vii) **नियुक्ति** - आयोग विशिष्ट अथवा संयुक्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर विहित प्रक्रिया अन्तर्गत आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा मेधा सूची सहित विभाग को प्रेषित करेगा।

6. **वरीयता। -**

(i) इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों की आपसी वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर की जायेगी।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में सदस्यों की वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडो सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

7. **परिवीक्षा अवधि ।** -

(i) मूल कोटि के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाली प्रत्येक पदाधिकारी पदग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी।

(ii) परिवीक्षा अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर यदि किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो विभाग उसकी परिवीक्षा अवधि एक साल बढ़ा सकेगा परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। बढ़ायी गयी अवधि में भी किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो परिवीक्षा समाप्त की जा सकेगी।

8. **सम्पुष्टि ।** - परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि के पात्र होंगे :-

(i) निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना, राजस्व पर्षद द्वारा प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता।

(ii) इस अवधि में उसका आचरण और सेवा संतोषजनक एवं नियमित रही है।

9. **प्रोन्नति ।** -

(i) इस सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसाओं से की जायेगी।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।

(iii) ऐसी प्रोन्नतियों के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा, अर्थात कालावधि वही होगी, जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जायगी।

10. **प्रशिक्षण।** - इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य से बाहर या विदेश में विभाग द्वारा भेजा जा सकेगा।

11. **अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ।** - सेवा के सभी सदस्यों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

12. **अवशिष्ट मामले।** - जो मामले इस नियमावली में समाहित नहीं है उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक संहिता / नियमावली/संकल्प/निर्देश में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए किए गए प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू होंगे।

13. कठिनाईयों का निराकरण। - इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई हो तब विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, जो अंतिम होगा।

14 निरसन एवं व्यावृत्ति। -

(i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस संबंध में निर्गत नियमावली/ संकल्प/ आदेश एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित समझा जायेगा।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी. इस नियमावली के पूर्व नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जाएगी, मानों यह उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

06/3/25

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- स०क०स्था० (मु०)-23/2023-1613..... पटना, दिनांक-6.3.2025.....

प्रतिलिपि :- ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

06/3/25

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- स०क०स्था० (मु०)-23/2023-1613..... पटना, दिनांक-6.3.2025.....

प्रतिलिपि :- सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

06/3/25

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- स०क०स्था० (मु०)-23/2023-1613 पटना, दिनांक- 6.3.2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/ निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/ निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/ सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/ वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, पटना/ राज्य आयुक्त नि:शक्तता, राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय/ उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना/ अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/03/25

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- स०क०स्था० (मु०)-23/2023-1613 पटना, दिनांक- 6.3.2025

प्रतिलिपि :- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारी एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

06/03/25

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग